

NW12026/170

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोध

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या : 72/2026

प्रार्थी

भंवरलाल

बनाम

अप्रार्थी

रामकिशोर वगैरा

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिायल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 10.04.2026 | <p>प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। हमने प्रार्थी अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र सुना। प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि राजस्व वाद संख्या 68/2017 जो दिनांक 04.06.2019 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया है। इसलिए राजस्व मूल वाद को पुनः बरामद किया जाने का आदेश फरमावे। अतः प्रार्थना पत्र न्यायोचित प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 सी. पी. सी. स्वीकार किया जाता है। तथा राजस्व मूल वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 04.06.2019 को पुनः बरामद किया जाता है। पत्रावली फैशल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> | |

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी